प्रतिभाओं को सम्मानित किया

निवाई। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सीताराम साहू ने औचक निरीक्षण करके निर्देश दिए। प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित करते कहा कि छात्र-छात्राओं को मोबाइल फोन से दूर रहना चाहिए तथा लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करना चाहिए।

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्र.सं.4 जयपुर महा-।।

के.एस.चौधरी विरूद्ध अरूणा रावत व अन्य

वाद बाबत वसूली

वाद सं. 11 सन् 20

नाम अरूणा रावत पत्नी क्रांति कुमार जाति रावत स्थान ई-97, गोविन्द नगर (पश्चिम) आमेर रोड जयपुर ...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 04 सन् 2026 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति मे हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 22 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मोहर अदालत

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्र.सं.4 जयपुर महा-।।

के.एस.चौधरी विरूद्ध अरूणा रावत व अन्य

वाद बाबत वसूली

वाद सं. 11 सन् 20

नाम क्रांति कुमार रावत पुत्र गणपत स्वरूप जाति रावत स्थान ई-97, गोविन्द नगर (पश्चिम) आमेर रोड जयपुर ...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 04 सन् 2026 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति मे हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 22 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मोहर अदालत

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्र.सं.4 जयपुर महा-।।

के.एस.चौधरी विरूद्ध अरूणा रावत व अन्य

वाद बाबत वसूली

वाद सं. 10 सन् 20

नाम दिपाली खूटेंटा पुत्री गिर्राज खूटेंटा जाति खूटेंटा स्थान ई-97, गोविन्द नगर (पश्चिम) आमेर रोड जयपुर ...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 04 सन् 2026 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति मे हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 22 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मोहर अदालत

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

संख्यांक 2

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

नाम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्र.सं.4 जयपुर महा-।।

के.एस.चौधरी विरूद्ध अरूणा रावत व अन्य

वाद बाबत वसूली

वाद सं. 10 सन् 20

नाम अंकुश रावत पुत्र क्रांति कुमार रावत जाति खूटेंटा स्थान ई-97, गोविन्द नगर (पश्चिम) आमेर रोड जयपुर ...ने आपके विरूद्ध.... के लिये वाद संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में दिनांक 25 माह 04 सन् 2026 को दिन में 7.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्तिहो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति मे हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मेंसाक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज दिनांक 22 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

वरिष्ठ रीडर

मोहर अदालत

अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर द्वितीय

नम्बर मिलाइए 9587884433

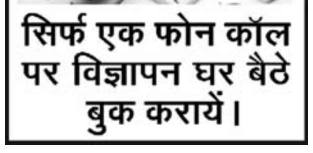

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

भरतपुर में भाजपा ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली

भरतपुर। भारतीय जनता पार्टी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा में विधेयक पेश किया गया जिसको कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष में वोट डालकर इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा जन आक्रोश पद यात्रा निकालकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जन आक्रोश पदयात्रा भाजपा युवा मार्चा जिला संयोजक आकाश हथैनी के नेतृत्व में लक्ष्मण मन्दिर से प्रारम्भ होकर गंगा मन्दिर होते हुए चौबुर्जा पर जाकर समाप्त हुई। चौबुर्जा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंककर राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए महिला अधिनियम गिराने के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया।

■ मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए महिला अधिनियम गिराने के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया

जन आक्रोश पदयात्रा भाजपा युवा मार्चा जिला संयोजक आकाश हथैनी के नेतृत्व में लक्ष्मण मन्दिर से प्रारम्भ होकर गंगा मन्दिर होते हुए चौबुर्जा पर जाकर समाप्त हुई।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लाए गये नारी षक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा धराशाई कर दिया गया जिससे देश की सम्पूर्ण नारी जाति का अधिक अपमान हुआ है। इस अपमान को नारी शक्ति कभी नहीं भूलेगी। और अपने अधिकार प्राप्त करके ही दम लेगी। जिला मीडिया प्रभारी डॉ वीरेन्द्र पचौरी ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शैलेष कौशिक, पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र गोयल, जिला उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर गौड एवं गौरव सरपंच, जिला महामंत्री जगत सिंह गुर्जर, रूपेन्द्र सिंह जघीना, कृष्णा जाट, सोनू उपाध्याय, प्रकाश भोलू सुनारी, मोनू काजलवाला, डॉ. कुलदीप तिवारी, गौरव चरौंरा, अमरसिंह सिनसिनवार, तेजवीर मीणा, दुष्यन्त सिंह आदि प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नाबालिग बेटी का विवाह रूकवाने मां थाने पहुंची

टोंक। दूनी थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में एक मां की जागरूकता से अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी का बाल विवाह रुक गया। मां ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों के माता-पिता को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर पाबंद किया। नाबालिग बेटी की मां ने दूनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि उनके पति अपनी नाबालिग बेटी का विवाह जबरन करवाना चाहते हैं। यह विवाह 26 अप्रैल 2026 को 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ तय हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने वधू और वर पक्ष के माता और पिता को न्यायालय एसीजेएम टोंक के समक्ष पेश किया। माननीय न्यायालय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 व 13 के उल्लंघन के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों के माता-पिता को 50-50 हजार रुपए के जमानत मुचलकों पर रिहा किया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को सख्त हिदायत दी कि जब तक लड़का और लड़की

कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अपराधी पर 35 हजार रूपये का इनाम घोषित

भरतपुर। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश चन्द्र विश्नोई ने आदेश जारी कर कुख्यात इनामी हिस्ट्रीशीटर अपराधी रोबिन पुत्र सुरेश जाट निवासी जलालपुर करीरा पुलिस थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.) पर 35 हजार रूपये का नकद इनाम घोषित किया है। उन्होंने बताया कि अपराधी रॉबिन 14 साल से फरार चल रहा है, जो जिला पुलिस के भरसक प्रयासों के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है।

उन्होंने बताया कि अपराधी रोबिन मुकदमा नम्बर 316/12 धारा 302, 120बी भा.द.स. पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर में वांछित चल रहा है अपराधी के विरूद्ध उत्तरप्रदेश के पुलिस थाना शिकारपुर में भी एक प्रकरण दर्ज है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस नियम 1965 की धारा 4.18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी को बन्दी बनाने या बन्दी करवाने या बन्दीकरण का विरोध किये जाने पर विधिसंगत आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर, बन्दी बनायेगा या बन्दी बनाने के लिये सही सूचना देगा या बन्दी करवायेगा, उसको महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर द्वारा 35 हजार रूपये का नकद पारितोषिक प्रदान किया जावेगा। पारितोषिक वितरण के सम्बन्ध में महानिरीक्षक पुलिस, रेंज, भरतपुर का निर्णय अंतिम होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उक्त अपराधी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर द्वारा पूर्व में घोषित इनाम राशि को निरस्त किया जाता है।

■ अपराधी रॉबिन 14 साल से फरार चल रहा है, जो जिला पुलिस के भरसक प्रयासों के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो रहा

भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी पाई

शाहपुरा। धार्मिक नगरी त्रिवेणी धाम में बुधवार को ब्रह्मलीन नारायण दास जी महाराज के आशीर्वाद व खोजी द्वाराचार्य रामरिछपाल दास जी महाराज के सानिध्य में सीताराम जी ठाकुर जी महाराज का वार्षिक पाटोत्सव मनाया गया। पाटोत्सव में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान आयोजित भंडारे में देर शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी पाई। रामरिछपाल दास जी महाराज ने बताया कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सीताराम भगवान का पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोचरण के साथ पंचामृत से अभिषेक किया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ठाकुर जी की बधाई गई।कार्यक्रम में आठों मंडलों के साधु संतों ने शिरकत की। जिनका खोजीद्वाराचार्य रामरिछपाल दास जी महाराज द्वारा भेंट देकर विदाई दी गई। कार्यक्रम में अरणिया से हरि देवाचार्य जी महाराज जी महाराज, खोरी परमानंद धाम से हरि ओम दास जी महाराज, सियाराम दास जी महाराज,दिनेश दास,बाल योगी जी महाराज सहित कई साधु संतों ने शिरकत की।

'रामकथा मनुष्य को उसके कर्तव्यों का बोध कराती है'

पावटा। कस्बे के प्राचीन गोपाल भैया मंदिर में मंदिर महंत मोहनदास रामायणी महाराज के सान्निध्य में चल रही संगीतमयी रामकथा के दूसरे दिन राम कथा का श्रद्धालुओं ने रसपान किया। इस दौरान कथावाचक बाबूराम दास महाराज घाटीधाम ने श्रद्धालुओं को रामकथा का रसपान करवाते हुए कहा कि श्रीराम कथा विश्व कल्याणदायनी है, लोक मंगलकारी है। प्रभु श्रीराम का आचरण एवं व्यवहार अपनाने से जीवन आनंदमय हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीराम कथा के माध्यम से मानव जीवन संबंधों की महत्ता स्थापित की है।

■ महंत मोहनदास महाराज के सान्निध्य में चल रही संगीतमयी रामकथा का श्रद्धालुओं ने रसपान किया

प्राचीन गोपाल भैया मंदिर परिसर में चल रहे नौ दिवसीय श्री रामकथा अमृत महोत्सव के दूसरे दिन उमड़े श्रद्धालु।

श्रीरामचरित मानस में गुरु, माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई, मित्र, पति-पत्नी आदि का कर्तव्य बोध एवं सदाचरण की सीख हमें सर्वत्र मिलती है। कथा की सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब इसे हम दैनिक जीवन के व्यवहार में शामिल करते हैं। राम कथा सुनने से मन का शुद्धिकरण होता है। इससे संशय दूर होता है और मन में शांति व मुक्ति मिलती है। भगवान राम का प्रिय भक्त बनना है तो हनुमान के चरित्र से सीख लेनी होगी। वही राम कथा प्रारंभ करते हुए बाबूराम महाराज घाटीधाम ने भगवान शिव की महिमा, शिव-पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और ताड़कासुर वध प्रसंग का वर्णन किया। यहा नौ दिवसीय रामकथा महोत्सव के द्वितीय दिवस में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान वरिष्ठ दौलतराम अग्रवाल, उमाकांत बंसल, योगेश शर्मा, मीना मित्तल, भागीरथ मुनीम, रोहिताश यादव, विनीत गौड, पूर्व पार्षद राजू शर्मा, धर्मेंद्र बटवाल, अमित बटवाल, अरविंद गर्ग, राहुल भांजा, शुभम टीलावत , राघव टीलावत, सुभाष टीलावत, राजू सिसोदिया, रमेश सिसोदिया, मानसिंह सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे।

संयुक्त निदेशक ने निरीक्षण किया

पावटा। संयुक्त निदेशक (जोन) जयपुर यदुराज सिंह नाथावत ने बुध को पावटा के उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए अधिकांश व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई और संबंधित स्टाफ की सराहना की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, प्रसूति कक्ष, दवा वितरण केंद्र, लेबर रूम, प्रयोशाला सहित विभिन्न इकाइयों का बारीकी से अवलोकन किया। मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और अस्पताल में स्वच्छता, दवाइयों की उपलब्धता तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता को जांचा। इस दौरान मरीजों ने भी सेवाओं को संतोषजनक बताया। संयुक्त निदेशक नाथावत ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराना प्राथमिकता रहे। उन्होंने साफ-सफाई बनाए रखने, आवश्यक दवाइयों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया।

लालसोट में दो दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी का समापन

लालसोट। पीएम अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लालसोट में आयोजित दो दिवसीय सत्रारंभ संस्था प्रधान (उ.मा.) वाकपीठ संगोष्ठी सत्र 2026-27 का सोमवार को प्रभावी समापन हुआ। संगोष्ठी में लालसोट ब्लॉक के सभी संस्था प्रधानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर मंथन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनोद शास्त्री उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता सत्यनारायण मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित शर्मा मौजूद रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। अतिथियों का माला, साफा और स्मृतिचिह्न देकर भव्य स्वागत किया गया। छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भर दिया। संयोजक एवं प्रधानाचार्य मदनलाल पारीक ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि विनोद शास्त्री ने भारतीय शिक्षा के चार आयाम-तन, मन, आत्मा और बुद्धि-पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए समग्र शिक्षा की आवश्यकता बताई।

संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ वार्ताएं आयोजित हुई।

अध्यक्ष सत्यनारायण मीणा ने शिक्षा के साथ अनुशासन को सफलता की कुंजी बताया, वहीं अमित शर्मा ने विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञ वार्ताएं भी आयोजित हुई।

एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई

लालसोट। पूर्वी राजस्थान में तेजी से बढ़ते नशे के प्रचलन पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गणेशराम मीणा ने गंभीर चिंता जताते हुए कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में नशे ने समाज को खोखला किया, उसी तरह अब राजस्थान में भी 'लड़खड़ाता राजस्थान' की चर्चा होने लगी है। यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मंगलवार को लालसोट पहुंचे न्यायाधीश मीणा ने एडीजे कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने वकीलों और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि गांव हो या शहर, हर जगह नशा तेजी से पैर पसार रहा है और युवा वर्ग इसकी चपेट में आकर बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। स्मैक, गांजा, चरस और एमडी जैसे घातक नशे खुलेआम चल रहे हैं, जो समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। उन्होंने नशे के बढ़ते प्रभाव को अपराधों से जोड़ते हुए कहा कि नशे में डूबे युवा चोरी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहले जहां खेतों में कृषि उपकरण महीनों सुरक्षित रहते थे, वहीं अब घर के बाहर रखा सामान भी रातभर सुरक्षित नहीं रहता। लोग बेरोजगारी जैसी समस्याओं से तो संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन नशे की गिरफ्त में आकर उससे बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए समाज को एकजुट होकर इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना होगा।उन्होंने समाज से अपील की कि समय रहते चेत जाएं, अन्यथा नई पीढ़ी का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। इस मौके पर दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, लालसोट विधायक रामबिलास मीणा, जिला न्यायाधीश केशव कौशिक सहित कई जनप्रतिनिधि और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।

पृथ्वी दिवस पर "हमारी शक्ति हमारा ग्रह" विषय पर कार्यक्रम आयोजित

टोंक। पृथ्वी दिवस के पावन अवसर पर बुधवार को ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय, टोंक के राजयोग भवन में हमारी शक्ति हमारा ग्रह अभियान के तहत एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्माकुमारी अपर्णा दीदी सहित सभी उपस्थित सदस्यों ने राजयोग ध्यान के माध्यम से पृथ्वी (ग्लोब) को केंद्र में स्थापित कर संपूर्ण प्रकृति के लिए पवित्र एवं सकारात्मक संकल्पों का संचार किया। साथ ही सभी को प्रकृति संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रह्माकुमारी अपर्णा दीदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में प्रकृति संरक्षण सदैव एक महत्वपूर्ण और पूजनीय परंपरा का हिस्सा रहा है। हमारे यहाँ पृथ्वी को माता स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है।

टोंक के राजयोग भवन में 'हमारी शक्ति हमारा ग्रह अभियान' के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया।

वृक्षों, नदियों, पर्वतों, अग्नि और वायु जैसे प्रकृति के सभी तत्वों के प्रति सम्मान की भावना हमें सिखाई गई है। किंतु वर्तमान समय में मनुष्य अपने स्वार्थवश प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिसके दुष्परिणाम हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। अतः अब समय आ गया है कि हम सभी दृढ़ संकल्प लेकर प्रकृति के संरक्षण हेतु आगे आएं, क्योंकि यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें न केवल प्रकृति के पंचतत्वों को प्रदूषण से बचाना है, बल्कि समाज में इसके प्रति जागरूकता भी फैलानी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके।

■ 'वृक्षों, नदियों, पर्वतों, अग्नि और वायु जैसे प्रकृति के सभी तत्वों के प्रति सम्मान की भावना हमें सिखाई गई है। किंतु वर्तमान समय में मनुष्य अपने स्वार्थवश प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है'

खोया पाया

मेरा मकान सं. 84/262 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल अदेय प्रमाण पत्र कहीं गुम हो गया है मिलने पर सम्पर्क करें-Smt. Anila Sharma-9314152875

प्लाट संख्या-10 योजना, स्कीम नं.13 (म्यूचल हा.का.सो.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख मय स्टाम्प गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। समीर गुप्ता, 9462625290

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: F-JDA/Zone 12/2025/D-29 आम सूचना

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 231470 दिनांक 17/07/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी /लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग्रा.नि.स. सं./निजी खातेदारी /जविप्रा योजना	योजना का नाम
1.	Kiran Jain W/o Babu Lal Jain	श्री सचिन सांघी पुत्र श्री उदय सांघी	40	223.05 SQ. meter	Private	Manglam City Sector/ Block-B

सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया: Sub Division and Reconstitution

कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज: एक बार से अधिक बार विक्रय होने के कारण

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, व्यक्ति एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

नाम परिवर्तन

मैं चैतन्य कुमार सत्यापित करता हूं कि मेरे DL में पिताजी का नाम Lakhan Chamdra है एवं पेन कार्ड में Lakhan Chandra है तथा आधार कार्ड में Lakhan Chand है, ये तीनों व्यक्ति एक ही है।

मैने मेरा नाम Parvina एवं Kum. Parveena व प्रवीणा से बदलकर Paravina रख लिया है, भविष्य में मुझे परवीना (Paravina) के नाम से जाना पहचाना जाए। निवासी- 148, रजनी विहार, अजमेर रोड, जयपुर

I have changed my name from urmila kumari rajpoot to urmila r/o a-171 shivpuri colony airport road sanganer Jaipur

I have changed my name from achi devi to achi devi goyal r/o e-140 bank colony murlipura scheme Jaipur

I, Siv Chandra Yaday father of No. 8036709L Hav (GD) Haree Ram Singh Yadav resident at Village: Shakkarpur, Post: Shahbazkuli, Teh: Mohammadabad, Police Station: Nonahra, Dist: Ghazipur, State UP, Pincode-233227 have changed my name from Siv Chandra Yadav to Shivchand Yadav vide affidavit No. IN-RJ72879273647389Y Date: 18/04/2026

I army no 15483717X Ex LD nanda Ram Choudhary resident of village post bokadawas tehsil dudu jaipur that i want to change name of my dependent from SUNITA KUMARI to SUNITA CHOUDHARY vide affidavit 21/4/26 before sub divisional magistrate Jaipur city north

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक :- 280 दिनांक :- 22/04/26

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में फ्लैट संख्या 17/B/F4/15 (4-F) (MIG-A), (एरिया 41.160 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री जयपाल शर्मा पुत्र श्री शिव चरण लाल शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3270 दिनांक 13.06.2016 को जारी किया गया। श्री जयपाल शर्मा के पक्ष में उक्त फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 09.09.2016 को उप पंजीयक-चतुर्थ, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री जयपाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 30.01.2024 को हो जाने के कारण अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर इनके पुत्र श्री हरीश कुमार पुत्र स्व. श्री जयपाल शर्मा द्वारा उक्त फ्लैट को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण बावत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री हरीश कुमार पुत्र स्व. श्री जयपाल शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 15/2026 उत्तरा.

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम श्रीमती भारती शर्मा पत्नी हरीश कुमार शर्मा, बी-173 सुमेर नगर विस्तार, न्यू सांगानेर रोड

विवाद स्थान मृतक हरीश कुमार शर्मा के सम्बन्ध में

मृतक राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग P.No. 5093260 की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 16/5/2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम हरिश कुमार शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा जाति निवासी बी-173 सुमेर नगर विस्तार न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16 माह 05 सन् 2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 17 माह 04 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

आज्ञा से-शरिस्तेदार

मोहर अदालत

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर-प्रथम मुख्यालय सांगानेर

मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302017

पीएच.डी. और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 2026-27 में एडमिशन

एफ.4/ए-1-1/2026-27/अकाद/पीएचडी/01

सभी डिपार्टमेंट/सेंटर में ऑड सेमेस्टर 2026-27 (जुलाई 2026) के लिए पीएचडी और एमटेक/एम प्लान (स्पॉन्सर्ड (फुल टाइम/पार्ट टाइम) और फुल टाइम सेल्फ-फाइनेंस्ड) में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए www.mnit.ac.in पर जायें। और ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 07 मई 2026 है।

CBC 21312/11/0002/2627 रजिस्ट्रार

Rajasthan State Forest Development Corporation Limited

Regd. Office: ROOM NO.B-116, FIRST FLOOR, ARANYA BHAWAN, JHALANA INSTITUTIONAL AREA, JAIPUR, RAJATHAN PIN: 302004

Email: mdrsfdcl@rajasthan.gov.in Contact No : 0141-2700096

क्रमांक :- एफ4(28) कार्मिक/MD/RSFDCL/2025/855 दिनांक :- 17/04/2026

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमन्त्रण सूचना

(EOI) संख्या 01/2026-27

सलाहकार/परामर्शदाताओ के पैनल (For Emplanelment of Consultants/Advisors) में सम्मलित होने के लिए इच्छुक बोलीदाता से दिनांक 14.05.2026 को दोपहर बाद 02.30 बजे तक खुली बोली में प्रस्ताव आमंत्रित किये जाती है। निर्धारित समय तक प्राप्त तकनीकी बोलियों को दिनांक 14.05.2026 को दोपहर बाद 03.00 बजे सक्षम उपापन समिति द्वारा प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य वन विकास निगम लि., अरण्य भवन जयपुर के कार्यालय के कमरा नं0 बी-116 में खोली जावेगी। बोली से संबंधित अन्य विस्तृत दस्तावेज एवं शर्ते राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट "sppp.raj.nic.in से देखे जा सकते है। UBN : FDC2627SSOB00001

राज.संवाद/सी/26/1277 महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

कार्यालय अधीक्षक राजकीय शिशु गृह, बाल अधिकारिता विभाग, गांधी नगर, जयपुर, फोन नं. 0141-2706480

क्र. सं.	संस्था द्वारा दिया गया नाम	लिंग	आयु	प्राप्ति का स्थान	प्रवेश माध्यम
1	लक्ष्मी 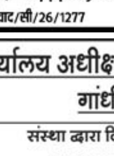	F	13 दिन	राजकीय शिशु गृह, जयपुर के पालना गृह से प्राप्त	बाल कल्याण समिति, जयपुर
2	कृतिका	F	01 माह	हरिबंक्श कांवटिया चिकित्सालय शास्त्री नगर, जयपुर के पालना गृह से प्राप्त	बाल कल्याण समिति, जयपुर
3	पवन	M	02 माह	थानाधिकारी पुलिस थाना लालकोठी जयपुर द्वारा प्राप्त	बाल कल्याण समिति, जयपुर

नोट:- उक्त बालक/बालिका का पुनर्वास किया जाना है किसी संस्था या व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति हो तो क्र.सं. 01 से 03 तक के लिए 20 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता से कार्यालय में सम्पर्क करें।

अधीक्षक

राजकीय शिशु गृह, बाल अधिकारिता विभाग गांधी नगर, जयपुर

राजस्थान संवाद